भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2359

उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) एंड मोबिलिटी

2359. श्री राधेश्याम राठिया:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री दुलू महतो:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री महेंद्र सिंह सोलंकी:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री शिवमंगल सिंह तोमर:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर मध्य प्रदेश राज्य में, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अनिवार्य कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा राज्य बोर्डों को जारी किए गए विशिष्ट दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य बोर्डों द्वारा निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) एनसीआरएफ के अंतर्गत शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा विधाओं में, विशेषकर दाहोद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, सुचारू मोबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) विशेषकर दाहोद, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सभी छात्रों के क्रेडिट की उनके डिजिलॉकर खातों में डिजिटल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ.) एनसीआरएफ ढांचा किस प्रकार राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे (एनएचईक्यूएफ) के साथ व्यावसायिक क्रेडिट का संरेखण सुनिश्चित करता है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में अधिक सक्रियता और लोचशीलता के लिए सामान्य शिक्षा और कौशल शिक्षा को एकीकृत करने पर बल देती है। एनसीआरएफ एक ऐसा सक्षम फ्रेमवर्क है जो शैक्षणिक, कौशल और अनुभावात्मक अधिगम जैसे विभिन्न पहलुओं से प्राप्त अधिगम क्रेडिटाइजेशन के लिए मूल सिद्धांत निर्धारित करता है। यह स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और कौशल शिक्षा से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए एकल मेटा-फ्रेमवर्क है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश (एमपीबीएसई) सहित राज्य बोर्डों को अवार्डिंग और मूल्यांकन निकाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कई क्षेत्रीय संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन किया है और कक्षा 9 से 12 के लिए स्कूलों में एनसीआरएफ कार्यान्वयन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। अधिसूचना की एक प्रति https://cbseacademic.nic.in/web_material/Notifications/2023/75_Notification_2023.pdf. पर देखी जा सकती है।

अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), डिजिलॉकर और एपीएएआर-आईडी जैसी डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से कार्यान्वयन को सक्षम बनाया है। प्रत्येक छात्र को यूडाइज+ के माध्यम से विशिष्ट डिजिटल पहचान एपीएएआर आईडी सौंपी जा रही है, जो स्वचालित रूप से उनके डिजिलॉकर से जुड़ी होती है।

शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच सुचारू गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें दाहोद लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, एनसीआरएफ एक एकीकृत प्रणाली स्थापित करता है जो मूल्यांकन के अध्यधीन कक्षा में अधिगम, कौशल-आधारित गतिविधियों, अनुभवात्मक शिक्षा और इंटर्नशिप के माध्यम से अर्जित क्रेडिट की मान्यता और अंतरण को सक्षम बनाता है। एबीसी ऋण संचय, अंतरण और प्रतिदान की सुविधा प्रदान करता है। एआईसीटीई में तकनीकी शिक्षा में लोचशीलता और पहुंच को बढ़ावा देने के लिए कई प्रवेश-निकास विकल्पों का समर्थन करने वाले एनसीआरएफ सिद्धांत शामिल हैं। डिप्लोमा या डीवीओसी कार्यक्रमों से बीटेक और अन्य उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों में प्रगति जैसे पार्श्व प्रवेश मार्गों के माध्यम से गतिशीलता को आगे बढ़ाया जाता है। एनआईओएस मान्यता प्राप्त बोर्डों और कौशल संस्थानों से क्रेडिट अंतरण तंत्र के माध्यम से क्रेडिट गतिशीलता का समर्थन करता है और उच्चतर शिक्षा में प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने कौशल पाठ्यक्रमों को एनएसक्यूएफ स्तर 3 से 4.5 तक संरेखित करता है।

छात्रों के क्रेडिट की डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें दाहोद लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, एनसीआरएफ को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) और डिजिलॉकर सहित डिजिटल अवसंरचना के साथ एकीकृत किया गया है। अधिकृत संस्थानों द्वारा अपलोड किए गए क्रेडिट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होते हैं, टेम्पर-प्रूफ प्रारूप में संग्रहीत होते हैं और एपीएएआर-आईडी प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी से जुड़े होते हैं।

एनसीआरएफ मई 2023 में प्रकाशित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ) के साथ व्यावसायिक क्रेडिट का संरेखण सुनिश्चित करता है, जो अधिगम परिणामों के संदर्भ में डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र के लिए उच्चतर शिक्षा योग्यता को परिभाषित करता है। यह भारत में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण, और तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में लगे विभिन्न प्रकार के संस्थानों द्वारा दी जाने वाली योग्यताओं को पहचानने और मान्यता देने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करता है।

*****